न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–66/12

1. मोतीराम उर्फ मोतीलाल दत्तक पुत्र स्व0 श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल आयु 68 वर्ष, जाति माली, निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भौरी देवी पत्नी श्री प्रभूदयाल पुत्री श्री ग्यारसीलाल जाति माली, निवासी कांजरों की ढाणी, ठाठर कॉलोनी, कस्बा आमेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती तोफा पत्नी श्री हनुमान सहाय, पुत्री श्री ग्यारसी लाल, जाति माली,निवासी ग्राम भानपुराकलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. श्रीमती लाडादेवी पत्नी श्री देवीलाल, पुत्री श्री ग्यारसी लाल, जाति माली, निवासी कांजरों की ढाणी, ठाठर, कॉलोनी, आमेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 21.11.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार जयपुर के आदेश दिनांक 22.02.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1431/2420 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा स्व. श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल की खातेदारी भूमि थी। उन्होने कथन किया है कि स्व0 ग्यारसा के कोई जाईन्दा पुत्र नही था, हिन्दू धर्म में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का मुख्य आधार माना गया है तथा मृतक को पुत्र द्वारा पिण्डदान तर्पण आदि मृतक संस्कार मिलने पर ही मृतक को मोक्ष प्राप्ति होती है इसलिये हिन्दू धर्म में गोद पुत्र का प्रावधान किया गया तथा यह परम्परा हिन्दू धर्म में आदिकाल से चल आ रही है इसी परम्परा के तहत मृतक ग्यारसीलाल व उसकी पत्नी स्व0 छोटादेवी ने वर्ष 1963–64 में अपीलान्ट को गोद लिया तथा हिन्दु धर्म के अनुसार गोद की रस्म अदा की गई, ग्राम व जात बिरादरी में गुड़, नारियाल पतासे बांटे गये व मीटा भोजन कराया गया तब से अपीलान्ट स्व. ग्यारसा का दत्तक पुत्र होकर उनके पास रहकर देखभाल व सेवा चाकरी करता आया है, अपीलान्ट का उनके दत्तक पुत्र के रूप में सभी सरकारी विभागों में नाम चला आ रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि स्व. ग्यारसीलाल का स्वर्गवास सम्वत् 2025 सन् 1968 में हो गया था, ग्यारसी लाल के स्वर्गवास पर सभी क्रियाक्रम, पिण्डदान, तर्पण, अस्थि विसर्जन इत्यादि गोद पुत्र की हैसियत से अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ने ही सम्पन्न किये एवं बारहवे की रश्म अपीलान्ट द्वारा पुत्र की हैसियत से पगड़ी बांध कर जात बिरादरी के सामने अदा की गई तथा गंगा प्रसादी कराई गई, उन्होने कथन किया है कि स्व. ग्यारसा के निधन के समय प्रार्थी छोटा था इसलिये उपरोक्त विर्णित भूमि का फौती नामान्तरकरण अकेली माता छोटा देवी के नाम ही खोला गया था, वास्तविक रूप से अपीलान्ट जब से कृषि करने लायक हुआ तभी से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला हआ रहा है तथा माता छोटा देवी की ताजिन्दगी देखभाल व सेवा चाकरी अपीलान्ट ही करता आया है तथा तीनों बहनों के भाई के दायित्व के रूप में भात–मायरे, जामने आदि देता आया है तथा बहनों के प्रति भाई का जो भी हिन्दू धर्म में व माली समाज में दायित्व है, वह निभाता आया है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 18.08.2007 को अपीलान्ट की माता श्रीमती छोटा देवी ने अपीलान्ट के हक में एक वसीयतनामा उप पंजीयक के यहॉ पंजीबद्ध करवाया तथा स्व. श्री ग्यारसा व छोटा देवी की बडी पुत्री अपीलान्ट की बहिन श्रीमती तोफा देवी द्वारा भी अपीलान्ट के हक मे उपरोक्त विर्णित सम्पत्ति में से अपने हक का पूरा हिस्सा 1/5 अपीलान्ट के पक्ष में जरिये हक त्याग दे दिया तथा दिनांक 20.11.2007 को अपीलान्ट के पक्ष में तोफादेवी द्वारा शपथ पत्र निष्पादित किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जब अपीलान्ट की माता छोटी देवी का देहान्त हुआ तो अपीलान्ट ने तहसीलदार जयपुर के समक्ष श्रीमती छोटादेवी की वसीयत के आधार पर तथा कब्जे काश्त के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के लिये प्रार्थना पत्र दिया तब लालचवश अन्य लोगों के बहकावे में आकर स्व. श्री ग्यारसा की तीनों पुत्रीयों ने तहसीलदार के समक्ष अपीलान्ट के बजाये बहिन भौरीदेवी के नाम नामान्तरकरण खोलने के लिए निवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने पत्रावली पर उपलब्ध स्वीकृत रिकार्ड की अनदेखी कर अवैध व निराधार निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मृतका छोटा देवी के द्वारा निष्पादित वसीयत बहिन तोफादेवी के हक त्याग पत्र अपीलान्ट द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा दिये गये शपथ पत्र तथा अब तक के राशन कार्डो, वोटर लिस्टों व वोटरकार्ड, बिजली के बिल आदि जो भी रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ वह रिकार्ड किस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत पाया जबकि उक्त सभी दस्तावेजात वर्षो पूर्व के है, आकस्मिक तैयार नही किये गये इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह तथ्य व रिकार्ड के तथा साक्ष्य विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तथ्य भी उजागर किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने मोतीलाल के विरूद्ध माता को मुक्त कराने के लिये फौजदारी प्रकरण दर्ज कराया इसकी सीधा सा अर्थ यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को यह ज्ञात था कि जब तक वे इस प्रकार की कार्यवाही नही करेगी तब तक

P.T.O.

समागीय आयुक्त
जयपुर

साक्ष्य उनके पक्ष में नही आयेगा तथा जमीनों की कीमतें बढने से लालचवश कई भू–माफिया प्रकृति के लोग इस प्रकार प्लान बनाते है, वर्ष 1968 से 2007 तक ऐसी स्थिति क्यों नही बनी, यह स्थिति तभी बनी जब माता ने अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि स्व. ग्यारसा की तीनों पुत्रीयों ने हक त्याग द्वारा अपना हक माता के नाम स्व. ग्यारसा के देहान्त के पश्चात् कर दिया था इसलिये स्व. ग्यारसा की विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 क्लेम करने की हकदार नही है तथा माता छोटादेवी ने अपीलान्ट के पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयत की है इससे यह स्पष्ट साबित है कि अपीलान्ट एकमात्र स्व. छोटादेवी का उत्तराधिकारी वसीयत के आधार पर हो जाता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 22.02.2012 को निरस्त करने की कृपा करे तथा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष मे खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीया की माताजी श्रीमती छोटा बेवा ग्यारसा का देहान्त दिनांक 23.03.2010 को हो गया है तथा रेस्पोडेन्ट की माता श्रीमती छोटा देवी के तीन जाइन्दा पुत्रीयों के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस उत्तराधिकारी नही है, रेस्पोडेन्ट की माता श्रीमती छोटी देवी की कृषिभूमि जिसके खाता संख्या पुराना 152 तथा नई खाता संख्या 168 है तथा उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1039, 1133, व 1481/2420 है कुल खसरा तीन रकबा 2 बिधा 5 बिस्वा है तथा उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल तक श्रीमती छोटा बेवा ग्यारसा ही काश्त करती रही है अन्य किसी का कब्जा नही था तथा रेस्पोडेन्ट की माता श्रीमती छोटादेवी के अन्तिम दिनों में उसके जेठ के बेटे मोतीलाल ने छोटा की जमीन हड़प करने के उद्देश्य से श्रीमती छोटा को बन्धक बनाकर कैद कर लिया था तथा उसी अवधि के दौरान मोतीलाल ने बडी चालाकी से दिनांक 18.08.2007 को अपने आपको उसका जाईन्दा पुत्र बताते हुये फर्जी तौर से वसीयत निष्पादित करवा ली तथा कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करवा ली जब इस कृत्य का ज्ञान इनकी पुत्रीयों को हुआ तो उन्होने मोतीलाल से सम्पर्क कर माता को रिहा करने का निवेदन किया लेकिन मोतीलाल नही माना तब इनकी पुत्रीयों ने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहॉ धारा 191 सी0आर0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा इसका प्रमाण पत्र प्रकरण संख्या 276/2007 है तथा उनवान लाडादेवी बनाम मोतीलाल है, तीनों पत्रीयों ने अपनी मॉ को रिहा करवाया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि हमारी माताजी की अन्तिम इच्छा थी कि उनकी जमीन का कोई झगडा नही हो इसलिये हमारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

माताजी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी इच्छा के अनुसार उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 01.08.2009 को अपनी दोनो बडी पुत्रीयों से सहमति लेकर भौंरीदेवी के हक में निष्पादित करवा दी तथा दोनों पुत्रीयों ने बतौर साक्ष्य हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लगाई है इससे कभी भी कोई विवाद नही रहा है। उन्होने कथन किया है कि श्रीमती छोटादेवी बेवा ग्यारसा का देहान्त दिनांक 23.03.2010 को हो जाने के पश्चात् उसकी तीनों विधिक वारिसान पुत्रियों ने जिनमें दोनो बडी पुत्रीयों ने अपनी बहन भौरीदेवी के पक्ष में दिनांक 21.12. 2010 को हक त्याग भी निष्पादित करवा दिया है तथा दोनों बहिनों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण खोले जाने के पक्ष में उक्त कार्यो की पुष्टि शपथ पत्र देकर भी की है तथा नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खोला जाता है तो इसके सम्बन्ध में अपनी अनापत्ति भी दी है। उन्होने कथन किया है कि मोतीलाल का उक्त जमीन से कोई लेना देना नही है तथा श्रीमती छोटा देवी ने अपने जीवन काल में कभी भी मोतीलाल को गोद नही लिया है तथा न ही किसी तरह का कोई गोदनामा लिखा गया है तथा न ही निष्पादित करवाया गया है, केवल मात्र मोती लाल के द्वारा उनके वारिसों को डरा धमका कर छोटा देवी की जमीन हडप करना चाहता है तथा मोतीलाल के द्वारा इस प्रकरण में पेश किये गये दस्तोवज जबरदस्ती दवाब में तैयार किये गये दस्तोवज है जिसका खण्डल छोटा देवी के द्वारा समाज व अन्य वारिसों के समाने कर चुकी है तथा उक्त प्रकरण मे मोतीलाल द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा, किसी तरह की कोई सक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश नही की गई है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार श्रीमती छोटादेवी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 18. 08.2007 को रजिस्टर्ड वसीयत की गई है और इसी प्रकार खातेदार छोटादेवी द्वारा इसी आराजी के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड वसीयत अपनी पुत्री भौरीदेवी के पक्ष में दिनांक 04.08.2009 को गई है। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी वसीयत का सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य करने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के खातेदार श्रीमती छोटा दवी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई दोनों वसीयत ही प्रभावशील व प्रचलन में ऐसे में दो अलग–अलग व्यक्ति के नाम अलग–अलग वसीयत के आधार पर एक आराजी का नामान्तरकरण नही खोला जा सकता है। चूँकि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार का दत्तक पुत्र बनकर न्यायालय के समक्ष आया है लेकिन उसके पास दत्तक पुत्र होने सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई प्रमाण नही है दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी के खातेदार छोटादेवी की पुत्रीयॉ है जिसे अपीलान्ट स्वयं ने भी स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2012 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2012 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21/11/17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।